भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railway
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

Office Order No.01 of 2019

(Amendment No.28 to July'2013 edition of Subject List)

Sub: Revision in the Subject List of Transformation Cell

Attention is invited to para 2 of Office Order No. 19 of 2017 divesting Transformation Cell from handling Parliament Questions/Assurances, Standing committees, CA-III references, RTI, Complaints etc. unless the same pertains directly to them. In partial modification of the same, it has now been decided that henceforth, in respect of orders/instructions issued by Transformation Cell (under their own file head), RTI cases including Parliament Questions etc. may be dealt with by Transformation Cell. However, in those cases where orders have been issued by some other Directorate or Transformation Cell has only initiated/given its comment, but has not issued any order, RTI/PQ/Assurance/CA-iii reference would not be dealt with by them and only inputs will be provided wherever required.

2. The above issues with the approval of the competent authority

(H. Moharana)
Joint Secretary/Railway Board

No.2019/O&M/7/1
Dated:04/01/2019

All Officers and Branches in Board's Office, at Metro Station Building, Pragati Maidan and Daya Basti, New Delhi.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2019 का कार्यालय आदेश सं.01

(विषय सूची के जुलाई 2013 के
संस्करण में संशोधन सं. 28)

विषय: ट्रांसफॉर्मेशन सेल की विषय सूची में आशोधन

आपका ध्यान 2017 के कार्यालय आदेश सं. 19 के पैरा 2 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन सेल से संसदीय प्रश्नों/आश्वासनों, स्थायी समितियों, सीए-III संदर्भों, आरटीआई, शिकायतों आदि, जब तक कि वे सीधे तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन सेल से संबंधित न हों, को डील नहीं करने का उल्लेख किया गया है। इसमें आंशिक आशोधन करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि अब से ट्रांसफॉर्मेशन सेल द्वारा (उनके स्वयं के फाइल शीर्ष के अंतर्गत) जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के संबंध में संसदीय प्रश्नों आदि सहित आरटीआई मामले ट्रांसफॉर्मेशन सेल द्वारा डील किए जाएंगे। बहरहाल, उन मामलों में, जहां आदेश किसी अन्य निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं अथवा ट्रांसफॉर्मेशन सेल ने केवल कार्य आरंभ किया है/अपनी टिप्पणी दी है, परंतु कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, तो आरटीआई/संसदीय प्रश्नों/आश्वासन/सीए-iii संदर्भ उनके द्वारा डील नहीं किए जाएंगे और जहां-कहीं आवश्यक होगा, केवल इनपुट दिए जाएंगे।

2. इसे सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

एच महाराणा

सं.2019/ओ एंड एम/7/1
दिनांक: 04/01/2019

(एच. महाराणा)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, प्रगति मैदान और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।